

¹ See also the discussion of the relationship between the two in the section on "Theoretical Approaches" above.

માનવદેવ જીનું પ્રશ્ન . 65

ଦିନାଂକ : ୨୬-୬-୧୩

भारतीय वन अधिनियम 1927 (Indian Forest Act 1927) में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन गंत्रालय द्वारा संशोधन प्रस्तावित है (Draft संलग्न)।

उक्त संशोधन पर विचार-विमर्श कर मतव्य सहित प्रतिवेदन देने के लिए प्रधान मुख्य वन संसदीय, झारखण्ड के निर्देशानुसार निम्नवत् चार समितियों का गठन किया जाता है:

1. (i) श्री सत्यजीत, सिंह,
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका। अध्यक्ष

(ii) श्री जे०पी० केशरी,
वन संरक्षक, देवघर।

(iii) श्री प्रेमजीत आनंद,
वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर। सदस्य सचिव

(iii) श्री महालिंग,
वन प्रमंडल पदाधिकारी, पाकुड़।

(iii) श्री सौरव चन्द्रा,
वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका।

यह समिति भारतीय वन अधिनियम (IFA) 1927 Chapters I, II, III एवं IV (धारा 1 से 34 तक) पर विचार करेगी।

2. (i) श्री संजीव कुमार,
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग अध्यक्ष

(ii) श्री अजीत कुमार सिंह
वन संरक्षक, हजारीबाग।

(iii) श्री पी०आर० नायडू
वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग (पश्चिम)। सदस्य सचिव

(iv) श्रीमती स्मिता पंकज,
वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग (पूर्वी)।

(v) श्री एन०सी०एस० मुण्डा,
वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा (उत्तरी)।

यह समिति भारतीय वन अधिनियम (IFA) 1927 Chapters V, VI, VII एवं VIII (धारा 35 से 51 तक) पर विचार करेगी।

3. (i) श्री ए०टी० मिश्रा,
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची। अध्यक्ष
(ii) श्री आर०के० राय
वन संरक्षक, गुमला
(iii) सबाआलम अंसारी

प्रतिलिपि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा

संस्थान का दस्तावेज़

- (iv) श्री गोप्यराज
वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा
(v) श्री प्रवैश अग्रवाल
वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिसडेगा

यह समिति भारतीय वन अधिनियम (IFA) 1927 Chapters IX एवं X (धारा 52 से 71 तक)
पर विचार करेगी।

4. (i) श्री डी० वेंकटेश्वरलू
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो अध्यक्ष
(ii) श्री सतीश चन्द्र राय
वन संरक्षक, बोकारो
(iii) सुश्री ममता प्रियदर्शी
वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह (पश्चिम) सदस्य सचिव
(iv) श्री विजय शंकर दुबे
वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़
(v) श्री आर०एन० मिश्रा
वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो

यह समिति भारतीय वन अधिनियम (IFA) 1927 Chapters XI, XII एवं XIII (धारा 72
से 86 तक) पर विचार करेगी।

डॉ० एम०पी० सिंह, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विशेष परियोजनाएँ उपर्युक्त चारों
समितियों का मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण करेंगे।

चारों समितियों वानिकी सेक्टर से जुड़े सभी stakeholders से विमर्श कर दिनांक
15.05.2019 से पहले आपस में समन्वय स्थापित कर एक संयुक्त प्रतिवेदन डॉ० एम०पी० सिंह के
माध्यम से इस कार्यालय को समर्पित करेंगे। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व से आहूत बैठक (दिनांक
07.05.2019) में चारों अध्यक्ष अपना Preliminary (प्रारंभिक) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

(एम०पी० सिंह)
25-५-२०१९
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन
रांची।

ज्ञापांक : 1518

दिनांक : 24-५-१९

प्रतिलिपि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विशेष परियोजनाएँ, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय
मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना दुमका/हजारीबाग/राँची/बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एम०पी० सिंह)
25-५-२०१९
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन
रांची।